प्रेस नोट दिनांक 21.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस व स्पेशल टीम की बड़ी सफलता: 01 अदद पिकअप बोलोरो(चार पहिया) व चोरी के 04 अदद टायर टेलर मय रिम के साथ 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर/ खाखापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक 16.01.2026 की रात्रि को वादी निवासी ग्राम मऊगंज, थाना/तहसील मऊगंज का 18 चक्का ट्रक निर्मला माता पैलेस, रानीगंज के पास खड़ा था। रात्रि के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रक की पिछली ट्रॉली के बाईं ओर के चारों चक्के खोलकर चोरी कर लिए गए। इस संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0स0 16/2026 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजनारायण, उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 रुद्रांश चौबे, का0 मुकेश पटेल, का0 योगेन्द्र यादव, का0 चंदन यादव व स्पेशल टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह उ0नि0 लक्ष्मीकांत सेंगर, हे०कां0 महेश सिंह, हे0 कां0 कमलेश सिंह यादव, कां0 बृजेश कुमार सिंह, कां0 सुनील यादव, कां0 बीरेन्द्र यादव द्वारा सर्विलांस सेल का0 संजय सिंह के सहयोग से देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 16/2026 धारा 303 (2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01.दीपक गौतम पुत्र स्व० संतलाल गौतम निवासी रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज उम्र करीब 38 वर्ष, 02. रोहित सरोज पुत्र अवधनारायण सरोज निवासी भरारी थाना माण्डाखास जनपद प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष, को 01 अदद पिकअप बोलोरो(चार पहिया) व चोरी के 04 अदद टायर टेलर मय रिम के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर/ खाखापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद पिकअप बोलोरो(चार पहिया) व चोरी के 04 अदद टायर टेलर मय रिम बरामद किया गया है। बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई, तथा घटना मे प्रयुक्त वाहन पिकअप बोलोरो को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 16.01.2026 के भोर में रानीगंज बाजार एवं चिरकुट्टी बाजार के मध्य, एक गिट्टी-बालू की दुकान के सामने सड़क के उस पार खड़े ट्रेलर से चार रिम सहित टायर खोलकर चोरी कर लिए थे। चोरी किए गए टायरों को उसी पीकअप वाहन से लादकर अपने गांव रामपुर ले गए, जहाँ उन्हें एक बाग में छिपाकर रख दिया गया था। आज अवसर पाकर हमलोग चोरी किए गए टायरों को पीकअप वाहन पर लादकर बेचने जा रहे थे, कि आप लोगों ने पिकअप सहित चोरी के टायर पकड़ लिया। हम लोग पहले भी इस तरह की घटना कारित कर चुके है, हम लोग अपनी पिकअप से रात्रि में अलग- अलग दिनों में रोड पर निकलकर रैकी करते हैं तथा रोड के किनारे सूनसान स्थानों पर खड़े वाहनों को टारगेट बनाते हुए चुपके से उनके टायरो को खोलकर चुरा लेते हैं और बाद में उन्हें औने-पौने दाम पर बेचकर अपना जीविकोपार्जन एवं शौक पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. दीपक गौतम पुत्र स्व० संतलाल गौतम निवासी रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज उम्र करीब 38 वर्ष
2. रोहित सरोज पुत्र अवधनारायण सरोज निवासी भरारी थाना माण्डाखास जिला प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजनारायण, उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 रुद्रांश चौबे, का0 मुकेश पटेल, का0 योगेन्द्र यादव, का0 चंदन यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम-
प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह उ0नि0 लक्ष्मीकांत सेंगर, हे०कां0 महेश सिंह, हे0 कां0 कमलेश सिंह यादव, कां0 बृजेश कुमार सिंह, कां0 सुनील यादव, कां0 बीरेन्द्र यादव।

सर्विलांस सेल- का0 संजय सिंह

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

ट्यूबवेल कब्जेदारी विवाद में मारपीट व अवैध शस्त्र बरामदगी प्रकरण में 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार, साथ ही कब्जे से देशी तमंचा व कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा अभियुक्त/ अभियुक्ता के कब्जे से 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया-

अभियुक्त/ अभियुक्ता को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रघईपुर स्थित बाग ग्राम रघईपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

ट्यूबवेल की कब्जेदारी को लेकर पूर्व से चले आ रहे विवाद के क्रम में विपक्षीगण द्वारा ट्यूबवेल को क्षतिग्रस्त किया गया तथा बाद में तमंचा व लाठी से लैस होकर वादी निवासी ग्राम रघईपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को घेरकर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। बीच-बचाव में आई वादी की माता के साथ भी धक्का-मुक्की व मारपीट की गई। इस संबंध में थाना अंतू में मु0अ0सं0 13/26 धारा 115 (2),352, 351 (3),324 (4), 127 (2) BNS बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उप निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह म0उ0नि0 दिव्या सिंह,म0का0 ज्योति सिंह, का0 रणजीत सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 13/26 धारा 115 (2),352, 351 (3),324 (4), 127 (2) BNS थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता , 01. गोविन्द विश्वकर्मा पुत्र महेश चन्द्र विश्वकर्मा उम्र करीब 26 वर्ष, 02. रूचि विश्वकर्मा पुत्री महेश चन्द्र विश्वकर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण ग्राम रघईपुर भवानीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रघईपुर स्थित बाग ग्राम रघईपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त गोविन्द विश्वकर्मा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर बरामद, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व अभियुक्ता रूचि विश्वकर्मा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा

315 बोर बरामद, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-
01. गोविन्द विश्वकर्मा पुत्र महेश चन्द्र विश्वकर्मा उम्र करीब 26 वर्ष,
02. रूचि विश्वकर्मा पुत्री महेश चन्द्र विश्वकर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण ग्राम रघईपुर भवानीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01. गोविन्द विश्वकर्मा- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर बरामद, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।
02. रूचि विश्वकर्मा- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर बरामद, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम-
उप निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह म0उ0नि0 दिव्या सिंह,म0का0 ज्योति सिंह, का0 रणजीत सिंह थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ

थाना आसपुर देवसरा व थाना पट्टी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अन्तर्जनपदीय रु0-25,000/- के ईनामियाँ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अन्तर्जनपदीय ईनामियाँ गैंगस्टर अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ व जौनपुर में लूट, चोरी, छेड़खानी, पाक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है।

अन्तर्जनपदीय ईनामियाँ गैंगस्टर अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत रसुलहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक

श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह के सहयोग से देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना पट्टी प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अन्तर्जनपदीय ईनामियाँ अभियुक्त सौरभ सिंह उर्फ अश्विन सिंह पुत्र जयेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम धनगढ़ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, उम्र 25 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत रसुलहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय ईनामियाँ अभियुक्त का विवरण-
सौरभ सिंह उर्फ अश्विन सिंह पुत्र जयेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम धनगढ़ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, उम्र 25 वर्ष ।

अन्तर्जनपदीय ईनामियाँ अभियुक्त सौरभ सिंह उर्फ अश्विन सिंह पुत्र जयेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम धनगढ़ सराय छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, उम्र 25 वर्ष का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0–193/22, धारा 394/411 भादवि0, थाना मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0–194/22, धारा 356/379/411 भादवि0, थाना मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
3. मु0अ0सं0–232/22, धारा 356/379/411 भादवि0, थाना मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
4. मु0अ0सं0–344/23, धारा 354क/384/504/506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0–461/23, धारा 379 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0–479/23, धारा 411/419/420/468/471 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0–44/24, धारा 392/411 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0–03/25, धारा 317(2)/317(4)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 भानू प्रताप सिंह, का0 शिवम राय, म0का0 गायत्री यादव, चालक का0 सुनील सिंह, थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार अंचल, कां0 पंकज यादव, कां0 अभिषेक यादव, कां0 पंकज चौहान थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गुलशन कुमार को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01अभियुक्त को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लौली पोख्ता खाम की नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 अवधेश कुमार यादव, का० विकेश मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 07/26 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गुलशन कुमार पुत्र रामजी राम उर्फ मुन्ना निवासी भरौली थाना नरही जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लौली पोख्ता खाम की नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
गुलशन कुमार पुत्र रामजी राम उर्फ मुन्ना निवासी भरौली थाना नरही जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 अवधेश कुमार यादव, का० विकेश मिश्रा थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।